



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमां 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

पुस्तक आपूर्ति हेतु विज्ञप्ति

दिनांक - 25/01/2021

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के महापंडित राहुल सांकृत्यायन केंद्रीय पुस्तकालय के लिए आपूर्तिकर्ताओं से पुस्तकालय की आवश्यकता एवं शर्तों के अनुसार पुस्तकें क्रय की जानी हैं। इच्छुक आपूर्तिकर्ता इस संबंध में निम्नांकित नंबर/पते पर दिनांक 02 फरवरी 2021 सायं 6.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

संपर्क: फोन नं. 07152-248007 (कार्यालयीय दिनों में 9.30 से 6.00 बजे तक)

ई-मेल : cl.hindivishwa@gmail.com

वेब साइट www.hindivishwa.org

कारुणिक
कुलसचिव
25/01/2021

पुस्तक आपूर्ति हेतु नियम व शर्तें

1. पुस्तकें क्रयदेश के तिथि से 15 दिनों के भीतर पुस्तकों की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा अन्यथा क्रयदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।
2. अंग्रेजी एवं हिंदी पुस्तकों पर कम से कम 20% छूट देना अनिवार्य होगा।
3. निर्धारित अवधि के अंदर क्रयदेशित पुस्तकों की 75% से कम आपूर्ति होने पर 10 % अतिरिक्त राशि काटी जाएगी।

4. पुस्तक का उपलब्ध नवीनतम संस्करण एवं अंकित मूल्य (Printed Price) ही खरीद हेतु मान्य होगा।
5. मूल रूप से विदेशी पुस्तकों का मूल्य प्रमाण-पत्र देना होगा। क्रयादेश के दिनांक के दिन की ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित परिवर्तन दर (Conversion Rate) टी. टी. सेलिंग दर (TT Selling Rates) ही मान्य होगी।
6. विदेशी पुस्तकों के बिलों के साथ आपको अपना क्रयादेश बीजक (Invoice) भी देना होगा।
7. क्रयादेशानुसार यदि पुस्तकें नहीं पाई गईं तो उन पुस्तकों का भुगतान नहीं किया जाएगा।
8. डाक व्यय और परिवहन व्यय प्रकाशन एवं अलग वितरक को देना होगा तथा पुस्तकों की डोर डिलेवरी (Door Delivery) करानी होगी।
9. जीएसटी व आयकर संबंधी पैन/टैन (PAN/TAN) नंबर देना अनिवार्य होगा।
10. आपूर्ति के उपरांत यदि कोई पुस्तकें डिफेक्टिव (पृष्ठ खराब होना, पृष्ठों के रिपिटीशन होना, पृष्ठ उल्टे-पुल्टे होना आदि-आदि) पायी गईं तो उन पुस्तकों को नई पुस्तके से बदलना होगा। भले ही उन पुस्तकों की पुस्तकालय में प्रविष्टि दर्ज कर ली गई हो।
11. आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकें तीन साल से ज्यादा की अवधि की नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो उन पुस्तकों के रिमेंडर माना जाएगा, जिस पर अतिरिक्त छूट देना होगा।
12. आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकें मूल प्रकाशक की होनी चाहिए। पुस्तकें नकली (Fake) होने की स्थिति में उसका भुगतान नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में आपूर्तिकर्ता ही किसी विधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
13. आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकों का भुगतान उसके स्वरूप के आधार पर यथा – पेपरबैक/हार्डबाउंड/इंटरनेशनल संस्करण के अनुसार किया जाएगा।
14. भुगतान हेतु बैंक का नाम, खाताधारक का नाम, बैंक शाखा का स्थान तथा आई.एफ.एस.सी. कोड बीजक के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
15. किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा तथा किसी भी प्रकार के न्यायालयीन वाद विवाद का क्षेत्र वर्धा न्यायिक क्षेत्र होगा।